



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1047]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2010/ज्येष्ठ 10, 1932

No.1047]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2010/JYAISTHA 10, 1932

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 31 मई, 2010

New Delhi, the 31st May, 2010

का.आ. 1258(अ).—कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 4 की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त धारा की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मासिक मजदूरी की निम्नलिखित राशि विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

S.O. 1258(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1B) of Section 4 of the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), the Central Government hereby specifies, for the purposes of sub-section (1) of the said section, the following amount as monthly wages, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

“आठ हजार रुपये”

“Eight thousand rupees”

[फा. सं. एस-37012/1/2008-एस.एस.-I (खण्ड. II)]

[F. No. S-37012/1/2008-S.S.-I (Vol. II)]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.